छत्तीसगढ़ में PESA कानून लागू

चर्चा में क्यों?

9 अगस्त, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य में पेसा (Panchayat Extension of Schedule Area) अधिनियम को लेकर नियम बन चुका है, जिसे 8 अगस्त को राजपत्र में प्रकाशित भी किया जा चुका है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि 7 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पेसा कानून के प्रारूप को मंज़ूरी दी गई थी। 8 अगस्त, 2022 को राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यह प्रदेश में लागू हो गया है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा कानून पहले से था, लेकिन इसके नियम नहीं बनने के कारण इसका लाभ आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा था, अब नियम बन जाने से प्रदेश के आदिवासी अपने जल-जंगल-ज़मीन के बारे में खुद फैसला ले सकेंगे।
- पेसा कानून लागू होने से ग्रामसभा का अधिकार बढ़ेगा। पेसा कानून के तहत ग्रामसभा के 50 प्रतिशत सदस्य आदिवासी समुदाय से होंगे। इसमें से 25 प्रतिशत महिला सदस्य होंगी। गाँवों के विकास में निर्णय लेने और आपसी विवादों के निपटारे का भी उन्हें अधिकार होगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई, आदिवासियों को वन अधिकार के पट्टे प्रदान किये गए, जिसके तहत अभी तक पाँच लाख पट्टे वन अधिकार के तहत दिये जा चुके हैं।
- उल्लेखनीय है कि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 या पेसा, अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये ग्रामसभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने हेतु केंद्र द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह कानूनी रूप से जनजातीय समुदायों, अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों के स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से खुद को नियंत्रित करने के अधिकार को मान्यता देता है, प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को भी स्वीकार करता है।
- पेसा ग्रामसभाओं को विकास योजनाओं की मंज़ूरी देने और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देता है। इसमें नीतियों को लागू करने वाली प्रक्रियाएँ और कर्मी, लघु (गैर-लकड़ी) वन संसाधनों, लघु जल निकायों और लघु खनिजों पर नियंत्रण रखने, स्थानीय बाज़ारों का प्रबंधन, भूमि के अलगाव को रोकने और अन्य चीज़ों के साथ नशीले पदार्थों को नियंत्रित करना शामिल है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pesa-act-implemented-in-chhattisgarh